सख्या:-172/2023/आई406142/001-341आ0/23-5002-002-46-2023-03भवन-2020टीसी

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2023**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, चित्रकूट, सिद्धार्थ नगर व गाजियाबाद के 05 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-720बीजीबी/109बीजीबी/निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउस का निर्माण/2023-24, दिनांक 21.09.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, चित्रकूट, सिद्धार्थ नगर व गाजियाबाद के 05 कार्यों हेतु स्वीकृत लागत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रू0 864.28 लाख (रू0 आठ करोड़ चौंसठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	मूल/पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि	बचत की धनराशि	आवंटन की कुल धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अब तक आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(धनराशि लाख रू0 में)					
1	91/2023/001-146आ0/23-5-23-16(भवन)/2023 टीसी-1, दि0 30.03.2023	लखीमपुर-खीरी में एल0 आर0पी0 स्थित निरीक्षण भवन में 04 अतिरिक्त सूट के निर्माण का कार्य।	179.54	07.44	172.10	00.01	172.09	100.00
2	42/2021/498आ0/23-5-20-03 (भवन)/2020टीसी, दिनांक 09.03.2021 एवं 79/2021/206आ0/23-5-21-09(भवन)/2018, दिनांक 26.07.2021 एवं 05/2022/396आ0/23-5-21-09(भवन)/2018, दिनांक 12.01.2022 एवं 13/2022/44आ0/23-5-22-09(भवन)/2018, दिनांक 30.03.2022 एवं 85/2022/001-184आ0-23-5-22-09(भवन)/2018, दिनांक 18.11.2022 एवं 67/2023/001-160आ0-23-5-23-09(भवन)/2018, दिनांक28.03.2023	लखनऊ में लो0नि0वि0 के निरीक्षण भवन का नवनिर्माण।	2314.07	25.00	2289.07	2142.00	147.07	147.07
3	42/2021/498आ0/23-5-20-03 (भवन)/2020टीसी,	चित्रकूट में सर्किट हाउस भवन	909.27	16.39	892.88	200.00	692.88	250.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	दिनांक 09.03.2021 एवं 26/2023/26आ0/23-5-23-09(भवन)/2020टीसी, दिनांक 09.02.2023	के निर्माण का कार्य।						
4	93/2023/001-125आ0/23-5-23-11(भवन)/2023, दिनांक30.03.2023	सिद्धार्थ नगर के प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 में स्थित रेस्ट हाउस नौगढ़ के प्रथम तल पर 04 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य।	128.15	01.85	126.30	02.10	124.20	117.00
5	77/2023/001-135आ0-23-5002-002-5-2023/14भवन/2023, दिनांक 30.03.2023	गाजियाबाद में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन के विस्तारीकरण के अन्तर्गत 02 वी0आई0पी0 कक्ष, 08 साधारण कक्ष एवं 01 मीटिंग हाल का निर्माण कार्य।	470.03	43.07	426.96	01.75	425.21	250.21
योग :-			**4001.06**	**93.75**	**3907.31**	**2345.86**	**1561.45**	**864.28**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दि0 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 8,64,28,000(रूपये आठ करोड़ चौंसठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059800512100 निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का जीर्णोद्धार/निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-172/2023/आई406142/001-341आ0(1)/23-5-2023तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी लखीमरपुर-खीरी, चित्रकूट, सिद्धार्थ नगर व गाजियाबाद।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमरपुर-खीरी, चित्रकूट, सिद्धार्थ नगर व गाजियाबाद।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र(लखनऊ), लखनऊ क्षेत्र, चित्रकूट धाम(बांदा) क्षेत्र, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर/खीरी वृत्त, लखनऊ वृत्त, बांदा वृत्त, बस्ती वृत्त, बुलन्दशहर वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी।
14- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।
15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, बांदा।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सिद्धार्थ नगर।
17- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गाजियाबाद।
18- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।